

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :-13-03-2023

सेवा में,
श्रीमान उप वन संरक्षक,
बाडमेर,
राजस्थान।

विषय :- Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District-Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/45878/2020)

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ ()तक./उवसं/2021-22/314 दिनांक:- 12.01.2022 एवं क्रमांक: एफ ()तक./उवसं/2022-23/1508 दिनांक:-27.02.2023।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आर्नेलाईन प्रस्ताव संख्या :-FP/RJ/ROAD/45878/2020


क्र.सं.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

शैलेन्द्र श्रीवास्तव
Shailendra Shrivastava
राजभाषीय सहायक सचिव
Divisional Assistant Head
जोधपुर मण्डल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 103600/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 21.01.2022 एवं 10.03.2023 को जमा करवा दिए गए हैं। प्रतिलिपि संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना संख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,26,321/- रुपये दिनांक 21.02.2022 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

(Shailendra Shrivastava)
 Divisional Retail Sales Head
Indian Oil Corporation Limited
 Jodhpur (Raj.)
 Jodhpur Division Office
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 INDIAN OIL CORPORATION LTD.
 जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)



राजस्थान RAJASTHAN

BG 124707

शपथ-पत्र


Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885 Ha.

मैं शैलेन्द्र श्रीवास्तव शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि-

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अंटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।


शैलेन्द्र श्रीवास्तव
Shailendra Shrivastava
संचालक, रेटेल प्रमुख
Jaisalmer Retail Field
भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Jodhpur Divisional Office
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
Jaisalmer - 342 005 (राज. / Rej.)

5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
12. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(Shailendra Srivastava)

Shailendra Srivastava
Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Jodhpur (Raj.)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.

जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)

Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Jodhpur (Raj.)

Jodhpur Divisional Office

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)

Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Jodhpur (Raj.)

Jodhpur Divisional Office

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)

Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Jodhpur (Raj.)

INDIAN OIL CORPORATION LTD.
Jodhpur - 342 008 (राज / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में यह है कि प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)

Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Divisional Retail Sales
Jodhpur (Raj.)

Jodhpur Divisional Office

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय



शैलेन्द्र शीवरस्तव
(Shailendra Shrivastava)

Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Divisional Office
Jodhpur (Raj.)

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)
Divisional Retail Sales Head
Indian Oil Corporation Limited
Jodhpur (Raj.)
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय



शैलेन्द्र शिवारतव
(Shailendra Shrivastava)
Divisional Retail Sales Head
Indian Oil Corporation Limited
Jodhpur (Raj.)
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.


Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)

Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Jodhpur (Raj.) लिमिटेड

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Barmer

No.F.12(12)(1)rev/2020/ 806

Dated : 25/02/23

To WHOWSOEVER IT May CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India letter No.11-9/98-FC (pt') dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (,FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.1885 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Indian Oil Corporation Ltd, Jodhpur (name of user agency) for Petrol Pump (purpose for diversion of forest land) in Barmer district falls within jurisdiction of Jasotoniyo ki Dhani Village(s) in Barmer Rural tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1885 hectares of forest area (roadside plantation area) proposed for diversion. A copy of records of all consultations and Meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level committee are enclosed as annexure I to annexure III
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-Dwellers who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion' A copy of certificate issued by the gram sabha of GP Bhadkha village(s) is enclosed as annexure I to annexure I
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace, only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (e) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above.

24/02/23
(LOK BANDHU)
District Collector, Barmer
(Lok Bandhu)
DISTRICT COLLECTOR
BARMER

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर बाड़मेर
क्रमांक प.12(12)(1)राज/2020/587

दिनांक:- 14/02/23

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8वीं/राज/ 6/22/2015/एफ. सी./200 दिनांक 02.06.2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) के पत्र क्रमांक प.6(14) प्रसु/अनु-3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में आज दिनांक 14.02.2023 को श्री लोक बंधु आई. ए.एस. जिला कलेक्टर बाड़मेर की अध्यक्षता में अनसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति बाड़मेर की बैठक रखी गई, जिसमें इस कार्यालय में प्राप्त निम्न वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों को विचार विमर्श हेतु बैठक में रखा गया।


क्र. सं.	नाम आवेदक	आवेदित भूमि का विवरण		
		ग्राम का नाम	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा
1	मुख्य महाप्रबन्धक	चाहरो की बस्ती	618/402	0.1662 हैक्टैयर
2	एचपीसीएल जोधपुर	बाड़मेर गादान	2684/2195 3147/2195	0.0435 हैक्टैयर
3	मुख्य मण्डल खुदारा बिकी प्रबन्धक, आईओसीएल जोधपुर	जसोतोणियों की ढाणी	13	0.1885 हैक्टैयर


प्रस्तावित वन भूमि/वन विभाग की भूमि उपयोग में लिये जाने हेतु इस जिले के संबधित ग्राम पंचायत की ग्रामसभा, उपखण्ड स्तरीय गठित कमेटी से प्राप्त बैठक कार्यवाही के विवरण के आधार पर लिये गये निर्णय अनुसार बाड़मेर जिले के अधिनस्थ वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम,2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति/समुदाय के उक्त अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार के सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियमों में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है।

प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15 (नवीन संख्या 68) के किनारों की पट्टियों पर स्थित भूमि है जिसे राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(16)राज दिनांक 05.08.1978 से प्रतिबन्धित वन की श्रेणी में घोषित करते हुए पेड़, झाड़ियां, घास तथा अन्य वनस्पति उत्पादों को आरक्षित करते हुए काटने तथा हटाने, उखाड़ने को प्रतिबन्धित किया गया है तथा उक्त भूमि संबधित खातेदारों के खातेदारी में ही दर्ज होने से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के प्रकरणों में इण्डियन रोड कांफ्रेंस के नोर्म्स अनुसार सड़क सीमा में आने वाली भूमि संबधित खातेदारों द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाई जा चुकी है। प्रस्तावित भूमि डीम्ड वन भूमि की श्रेणी में होने से तथा लीनीयर प्रोजेक्ट के अलावा आवश्यकता होने से फार्म न. 2 में प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।


Shankar Singh
जोधपुर
District Forest Officer
District Forest Office
Jodhpur Divisional Office
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में से उपरोक्त कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त तीनों प्रकरणों में प्रस्तावित भूमि डीम्ड वन भूमि की श्रेणी में होने से (for projects other than linear projects) के लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म न. 2 में वनभूमि के अनारक्षण हेतु वन क्षेत्रों में अनसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।



उप वन संरक्षक, बाड़मेर
(सदस्य)



श्रीमती गंगादेवी
जिला परिषद सदस्य



मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(सदस्य)


श्रीमती रूख्मणी देवी
जिला परिषद सदस्य


अपर कलेक्टर, बाड़मेर


H.P. Singh
जिला परिषद सदस्य


जिला कलेक्टर, बाड़मेर
(अध्यक्ष)


शैलेन्द्र श्रीवास्तव
Shailendra Shrivastava
संलग्न मुख्यालय
Divisional Head
जोधपुर बाड़मेर कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज / Raj.)

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांक : प.12(12)(1)राजस्व / 2020 / 6876

दिनांक :- 12/12/22

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

विषय :- अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने बाबत ।

विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि इस कार्यालय में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के लिए विपथन हेतु मिन्मांनुसार प्रस्ताव विचाराधीन है ।

क. स.	नाम आवेदक	आवेदित भूमि का विवरण			प्रयोजन
		ग्राम का नाम	खसरा संख्या	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा	
1	उप महाप्रबन्धक,	चाहरों की बस्ती	618 / 402	0.1662 हैक्टैयर	पैट्रोल पम्प
2	एचपीसीएल जोधपुर	बाड़मेर गादान	2684 / 2195 3147 / 2195	0.0435 हैक्टैयर	पैट्रोल पम्प
3	मुख्य मण्डल खुदरा विक्री प्रबन्धक, आईओसीएल जोधपुर	जसोतोणियों की ढाणी	13	0.1885 हैक्टैयर	पैट्रोल पम्प

उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में प्रस्तावित भूमि में कोई वनाधिकार दावा पेण्डिंग होने के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट आज ही उपलब्ध करावे साथ ही क.स. 2 पर अंकित ग्राम बाड़मेर गादान की प्रस्तावित भूमि के संबंध में ग्रामसभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति आयोजित बैठक का वन अधिकार नियम 5 के तहत समिति की बैठक कार्यवाही विवरण एवं निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करावे, ताकि अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में रखा जाकर प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर कलक्टर, बाड़मेर

दिनांक :- 12/12/22

क्रमांक : प.12(12)(1)राजस्व / 2020 / 6877-B1
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. उप वन संरक्षक, बाड़मेर ।
2. तहसीलदार, बाड़मेर / बाड़मेर ग्रामीण ।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाड़मेर ।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

शैलेन्द्र सिंह राव
Shailendra S. Vastava
जोधपुर नगरपालिका
District Council Head
जोधपुर नगरपालिका
Joint District Office
INDIAN CO-OPERATION LTD.
Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

कार्यालय जिला परिषद, बाड़मेर

क्रमांक : एफ-5/जिपबा/मौनी/ 2021-22/ 348

दिनांक :- 4.03.2022

✓ श्रीमान् अपर कलक्टर,
बाड़मेर।

विषय :- अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने बाबत।

प्रसंग :- ग्राम पंचायत भाडखा, प.स. बाड़मेर (ग्रा.) का पत्रांक 03 दिनांक 05.01.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत मुख्य मंडल खुदरा ब्रिकी प्रबंधन इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोधपुर द्वारा ग्राम भाडखा के खसरा न. 13 रकबा 0.1885 पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के नियम 5 के तहत समिति गठन के अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के लिए विपथन हेतु प्राप्त आवेदन अनुसार वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत जहां अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत उक्त भूमि पर अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों का कोई दावा नहीं होने तथा प्रस्तावित भूमि निजी खातेदारी की होने तथा संबंधित खेतदार द्वारा समर्पित करवाये जाने से तथा प्रस्तावित भूमि डीमड फॉरेस्ट की श्रेणी में होने से ग्राम सभा द्वारा नियमानुसार वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के लिए विपथन करने का अनुमोदन ग्राम पंचायत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला परिषद को भिजवाया गया था। जिला परिषद की साधारण सभा बैठक दिनांक 04.02.2022 में प्रस्ताव का सर्व सहमति से अनुमोदन किया गया है। तथा जिला स्तरीय समिति का गठन पूर्व में किया गया था, जिसमें जिला परिषद के निम्न सदस्य हैं :-

क्र.स	नामित सदस्य	श्रेणी
1.	श्रीमति गंगादेवी	ST/F
2.	श्रीमति रुखमों देवी	ST/F
3.	श्री उगमसिंह	General

उपरोक्तानुसार प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल प्रस्ताव मय
अन्य दस्तावेज (क्रम सं. 01 से 09)।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बाड़मेर

दिनांक :- 4.03.2022

क्रमांक : एफ-5/जिपबा/मौनी/2021-22/ 349-55
प्रतिलिपि :-

1. उप वन संरक्षक, बाड़मेर।
2. उपखंड अधिकारी, बाड़मेर।
3. तहसीलदार, तहसील बाड़मेर।
4. मुख्य महाप्रबंधक, आईओसीएल, जोधपुर।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़मेर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण।
7. ग्राम पंचायत भाडखा, पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण।

शैलेंद्रा निवास्तावा
श्रीम. भाडखा मुख.
District Forest Head
वन संरक्षण कार्यालय
Joint Forest Divisional Office
इंजिन. बाल मणोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD
342 / Jodhpur - 342 008 (Raj.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बाड़मेर

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

दिनांक :- 12/12/22

क्रमांक : प.12(12)(1)राजस्व / 2020 / 6876

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

विषय :- अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करवाने बाबत ।

विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि इस कार्यालय में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के लिए विपथन हेतु निम्नांनुसार प्रस्ताव विचाराधीन है ।

क्र. सं.	नाम आवेदक	ग्राम का नाम	आवेदित भूमि का विवरण		प्रयोजन
			खसरा संख्या	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा	
1	उप महाप्रबन्धक,	चाहरो की बस्ती	618/402	0.1662 हेक्टेयर	पेट्रोल पम्प
2	एचपीसीएल जोधपुर	बाड़मेर गादान	2684/2195 3147/2195	0.0435 हेक्टेयर	पेट्रोल पम्प
3	मुख्य मण्डल खुदरा बिक्री प्रबन्धक, आईओसीएल जोधपुर	जसोतोगियों की ढाणी	13	0.1885 हेक्टेयर	पेट्रोल पम्प

उपरोक्त प्रस्तावों के संबंध में प्रस्तावित भूमि में कोई वनाधिकार दावा पेण्डिंग होने के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट आज ही उपलब्ध करावे साथ ही क.स. 2 पर अंकित ग्राम बाड़मेर गादान की प्रस्तावित भूमि के संबंध में ग्रामसभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति आयोजित बैठक का वन अधिकार नियम 5 के तहत समिति की बैठक कार्यवाही विवरण एवं निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करावे, ताकि अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में रखा जाकर प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके ।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)

अपर कलक्टर, बाड़मेर

दिनांक :- 12/12/22

क्रमांक : प.12(12)(1)राजस्व / 2020 / 6877-81
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. उप वन संरक्षक, बाड़मेर ।
2. तहसीलदार, बाड़मेर / बाड़मेर ग्रामीण ।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाड़मेर ।

अपर कलक्टर, बाड़मेर

शैलेंद्र श्री राव
Shailendra S. Raw
District Collector
District Office
District Office
Jodhpur Divisional Office
Jodhpur Divisional Office
INDIA RECORDS CORPORATION LTD.
Jodhpur - 342 003 (Reg. / Raj.)



राजस्थान सरकार





कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

क्रमांक/राजस्व/2021/ 1796

दिनांक 07/4/2022

उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.04.2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बाड़मेर की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए:-

क्र.स.	नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर
1	श्री रोहित चौहान उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर	
2	श्री मुखराम विश्वमोह विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाड़मेर ग्रामीण	
3	श्री चन्द्रशेखर कौशिक क्षेत्रीय वन अधिकारी बाड़मेर	
4	श्रीमती गीता देवी पंचायत समिति, सदस्य वार्ड संख्या 15	

(गीता)
पंचायत समिति सदस्य
वार्ड सं. 15 वरुडा, गेट
म.स. बाड़मेर

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बाड़मेर को पत्रांक प.12(12)(1)राजस्व/2021/1796 दिनांक 23.12.2021 की अनुपालना में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम जसोतोणियों की ढाणी के खसरा नंबर 13 प्रस्तावित रकबा 0.1885 हैक्टर प्रत्यावर्तन हेतु आवेदक मुख्य गण्डल खुदरा बिक्री प्रबन्धक, ओईओसीएल जोधपुर को पेट्रोल पम्प हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रत्यावर्तन हेतु रखा गया।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम जसोतोणियों की ढाणी के खसरा नंबर 13 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.1885 हैक्टर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंसा करती है।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

शैलेन्द्र श्री शिवतव
Shailendra Shrivastava
पंचायत समिति मुख्यालय
जोधपुर
District Development Office
Jodhpur
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
Jodhpur - 342 008 (Raj)



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 1797

दिनांक 07/4/2022

प्रेषित:-

श्रीगान् जिला कलक्टर,
बाड़मेर

विषय:- अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।


प्रसंग:- आपका पत्रांक प.12(12)(1)राजस्व/2020/10253 दिनांक 23.12.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के निर्देशों की पालना में दिनांक 07.04.2022 को प्रातः 11.30 ए.एम. बजे उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्राम जसोतोणियों की ढाणी के खसरा नंबर 13 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.1885 हैक्टर आवेदक मुख्य भण्डल खुदरा बिक्री प्रबन्धक, ओईओसीएल जोधपुर को पेट्रोल पम्प हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाना कि उक्त भूमि रक्षित वन घोषित है में नियमानुसार वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत 0.1885 हैक्टर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है का बैठक कार्यवाही विवरण इस पत्र के सलग्न मूल प्रति में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार


(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर


श्रीश्री श्रीवास्तव
Shri Shri Shrivastava
उपखण्ड अधिकारी
मुख्य भण्डल कलक्टर
जोधपुर जिला कार्यालय
Jodhpur Regional Office
इण्डियन न्यूट्रिशन लिमिटेड
INDIAN NUTRITION CORPORATION LTD.
Jodhpur - 342 003 (राज. / Raj.)


कार्यालय ग्राम पंचायत भाडखा पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर


अनापति प्रमाण पत्र


प्रस्ताव संख्या 03 आज दिनांक 05/01/2022 को ग्राम पंचायत भाडखा की ग्राम सभा का आयोजन सरपंच श्रीमती चनणी देवी की अध्यक्षता में किया गया।

जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर व श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण के पत्रांक प.12(12)(1)राजस्व/2020/10253 दिनांक 23.12.2021 के सन्दर्भ में प्रस्ताव रखा गया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन के लिए विपणन हेतु मुख्य मण्डल खुदरा बिक्री प्रबन्धक, आईओसीएल जोधपुर का ग्राम पंचायत भाडखा के राजस्व ग्राम जसोतोणियों की ढाणी में खसरा नम्बर 13 में प्रत्यावर्तन हेतु 0.1885 हेक्टर पेट्रोल पम्प किया जाना है।

बाद विचार विमर्श कर यह प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया कि उक्त खसरे में भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाता है तो ग्राम पंचायत भाडखा को कोई आपत्ति नहीं है। इस दिन वन क्षेत्र के निवासियों की सदस्यो की 50 प्रतिशत उपस्थिति रही।


(श्रीमती दिगला चौधरी)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भाडखा
पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण


(चनणी देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत भाडखा
पं. स. बाड़मेर ग्रामीण


श्रीमान श्रीमान
Shri. Manoj Choudhary
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भाडखा
पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ओयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

कार्यालय ग्राम पंचायत भाडखा पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर

प्रस्ताव संख्या :- 03

दिनांक 05/01/2022

दिनांक 05/01/2022 को ग्राम पंचायत भाडखा की बैठक बुलाई गई, जिसमें निम्न प्रस्ताव रखा गया जिसको सर्वसहमति से पारित किया गया जो दर्ज आवरण के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. के प्रस्तावित पेट्रोल पम्प (खसरा नम्बर 13 में) रिटेल आउटलेट के लिए आने एवं जाने के लिए उपयोग में आने वाली वन भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 1980 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार उक्त भूमि पर वनाधिकार का कोई दावा लगित या प्रक्रियाधीन नहीं है एवं आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) एवं पूर्व कृषि समुदाय (पीएसी) प्रभावित नहीं हो रहा है।

प्रस्तावित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. के प्रस्तावित पेट्रोलियम (खसरा नम्बर 13 में) रिटेल आउटलेट के लिए प्रस्तावित रोड़ के लिए चाही गई वन भूमि नीचे दर्शाया गई है।

रोड़ का नाम - (एनएच 68) जैसलमेर से सांचौर बाड़मेर


ग्राम - जसोतोणियों की ढाणी

आवश्यक प्रस्तावित वनभूमि - 0.1885


गांव का नाम - भाडखा


तहसील - बाड़मेर

जिला - बाड़मेर (राजस्थान)


श्री. ज. क. जैसवाल
Shri. J. K. Jaiswal
राजस्थान सरकार
जिला बाड़मेर
ग्राम विकास कार्यालय
Jaiswal Division Office
ग्राम विकास कार्यालय बाड़मेर
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
Jodhpur - 342 006 (राज. / Ra)

उक्त प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया।


(स. न. प. 1/2022)
सरपंच
ग्राम पंचायत भाडखा
ग्रामीण बाड़मेर जिला


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत भाडखा
बाड़मेर जिला



Rajasthan State Pollution Control Board

Regional office, Rajasthan state pollution control Board, Jasol phanta, Opp. JDVVNL office, Jasol Road Balotra, District - Barmer



Registered

ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Tech)/Barmer(Barmer)/5118(1)/2021-2022/1457-1458

Order No : 2021-2022/Balotra/8779

From :

Date : 1/12/2021

Regional Officer[Balotra]

Rajasthan State Pollution Control Board,

Regional office, Rajasthan state pollution control Board, Jasol phanta, Opp. JDVVNL office, Jasol Road Balotra, District - Barmer.

To,

M/s M/s ASHOK KUMAR (UnitID:115972)

KHASRA NO. 13, V/P- JASOTANIYON KI DHANI , BHADKA Tehsil:Barmer

District:Barmer

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 18/11/2021 of your application dated 18/11/2021 for **Consent to Establish** for (project / process / activity name) **PETROL PUMP** under section of 21 of the **Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** and section of 25 of the **Water(Prevention & Control of Pollution) Act,1974** having capital cost of the project Rs. 47.19 Lacs duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. 6,000.00 and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as **Consent to Establish**, of the State Board, under section of 21 of the **Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** and section of 25 of the **Water(Prevention & Control of Pollution) Act,1974** ,to **Consent to Establish** your industry at **KHASRA NO 13, V/P- JASOTANIYON KI DHANI BHADKA Tehsil:Barmer District:Barmer** and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies /

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 2.This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- 3.The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4.The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under **Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing** as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

Page 1 of 3

श्रीलक्ष्मी अंतराष्ट्रीय
Share and Services
नियंत्रण कक्षा
District - Jasol Road
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Jasol Phanta Division Office
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लिमिटेड
INDIA POLLUTION CONTROL LTD.
Jasol Phanta - 342 008 (Raj.)


Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Sehra
Date: 2021.12.01 10:15:08 IST
Reason: Self Attested
Location:



Specific Condition :

- 1 a) That this acknowledgement is being issued for automobile fuel outlet at khasra no. 13, Jasotaniyon ki dhani, Village-Bhadka, Tehsil & Dist.- Barmer for land has been converted by the office of district collector, Barmer vide letter No. 981 dated 17/02/2020.
 - b) That this acknowledgement is being for automobile fuel dispensing out with capacity Petrol-1000 lit/day, Diesel-3000 lit/day & Lubricant oil-15 lit/day.
 - c) That proponent shall comply with the guidelines issued by CPCB for setting up new petrol pumps issued vide dated 07/01/2020 & subsequent office memorandum dated 16/08/2021.
 - d) That proponent shall get the permission from PESO.
 - e) That proponent shall provide the adequate arrangement for vapor collection during dispensing.
 - f) That proponent shall establish/operate the fuel outlet only after ensuring the complete compliance of CPCB guidelines.
 - g) That D.G.SET of capacity 15 KVA shall be there with acoustically enclosed and should have the adequate stack height.
 - h) That capital investment of the project shall not exceeds Rs. 47.19 Lacs. If at any stage any variation in capital investment is observe, than proponent shall pay the applicable fee as per fee notification.
 - i) That total fresh water consumption shall not exceed 0.5 KLD (for domestic purposes).
 - j) That proponent shall dispose the domestic waste water through septic tank followed by soak pit. No discharge of treated/untreated domestic/trade effluent shall be there and unit shall maintain the zero liquid discharge status inside/outside the plant premises.
 - k) That proponent shall not dig borewell and or abstract the ground water without prior permission from the competent authority.
 - l) That proponent shall comply with the prescribed standards as defined by the MoEF&CC time to time.
 - m) That proponent shall develop tree plantation in 33 % of total plot area to maintain air quality around the unit.
 - n) That the unit shall not dispose off waste material outside the premises.
 - o) That the acknowledgement is valid subject to fulfilment of all the other statutory requirements in other Laws/Acts/Rules as applicable.
 - p) That proponent shall obtain the necessary permission from the other departments/authorities in concern if Industry activity falls/comes under such area/ purview or scope of such departments/ authorities in concern from time to time. The sole responsibility of obtaining the permission from the departments/authorities in concern is of project proponent. The project proponent shall ensure the operation/establishment of the unit only after obtaining the permission from the departments/authorities in concern (if applicable)
 - q) That this acknowledgement shall cease to be valid in case of any change in product/process/operation/raw material/ capacity/ area or in information/ document submitted/uploaded at the time of seeking consent.
 - r) Any wrong or partial information/ concealment of facts or deviation from material facts shall make this consent null & void.
 - s) That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded/submitted by the applicant/ industry/ process/ project proponent. The liability of veracity and correctness of the uploaded/submitted document/ information shall solely be of the applicant only.
- 2 That proponent shall apply for authorization under HWM rules


शैलेश कुमार
Shailesh Kumar
Regional Head
जोधपुर कार्यालय
Regional Operational Office
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED
Jodhpur - 342 008 (Raj. / Raj.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Sehra
Date: 2021.12.01 16:15:08 IST
Reason: Self Attested
Location:



This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

Regional Officer[Balotra]

1 Master File.

Regional Officer[Balotra]



शैलेन्द्र श्रीवास्तव
Shalendra Shrivastava
संस्थापक सुदृढ प्रमुख
Divisional In-charge Head
जोधपुर मंडल कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Sehra
Date: 2021.12.01 16:15:08 IST
Reason: SelfAttested
Location:



क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)

Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Jodhpur (Raj.)


Jodhpur Divisional Office

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड



INDIAN OIL CORPORATION LTD.

जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया A Government of India Undertaking

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-01-2022

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6145878734
MoEF/SG File No.	1(91)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	Marketing Division, Jodhpur divisional office Jodhpur
Amount(In Rs)	227121/-


Amount In Words :Two Lakh Twenty-Seven Thousand One Hundred and Twenty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;



Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856145878734 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया A Government of India Undertaking

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-01-2022

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6145878734
MoEF/SG File No.	1(91)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address:	Marketing Division, Jodhpur divisional office Jodhpur
Amount(In Rs)	227121/-

Amount In Words :Two Lakh Twenty-Seven Thousand One Hundred and Twenty-One Rupees Only


NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856145878734 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com


शैली श्रीवास्तव
Shalini Srivastava
एग्जीक्यूटिव हेड
Executive Head
जोधपुर क्षेत्रीय कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
SIFAT Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 09-03-2023

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6145878308
MoEF/SG File No.	1(91)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	Marketing Division, Jodhpur divisional office Jodhpur
Amount(in Rs)	2800/-

Amount in Words : Two Thousand Eight Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856145878308 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
SIFAT Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 09-03-2023

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	6145878308
MoEF/SG File No.	1(91)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address:	Marketing Division, Jodhpur divisional office Jodhpur
Amount(in Rs)	2800/-

Amount in Words : Two Thousand Eight Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856145878308 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

(Signature)
श्री. नरेश कुमार
Shri. N. K. Kumar
जोड़पुर विभागीय कार्यालय
Jodhpur Divisional Office
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
Jodhpur - 342 003 (Raj.)

NEFT through RMCB Bhodra. UTR Ref No -
RMCB N 230 692 39358. dated 10/03/2023



OFFICER
10 MAR 2023
OFFICER

TRANSFER
10 MAR 2023
Off Assistant Officer

BENEFICIARY DETAIL

OFF ASSISTANT / OFFICER
10 MAR 2023

Beneficiary's Name : Rajasthan CAMPA

Union Bank of India. A.CS center, 211, III
floor Jelliter Towers, Mission Road Bonga

Beneficiary A/c No. : 150856145878308

RTGS/NEFT/IMPS Amount: ... 2800

Commission : ... 5

Total Amount : ... 2805

Applicant A/C No. : 83008125719

UTR No./RRN :

Date : 10.03.2023

श्रीमती शिवश्याम सुखदेवी शिवश्याम सुखदेवी
Shardha S. Shrivastava
Manager
Union Bank of India
Regional Office
Jodhpur
UNION BANK OF INDIA LTD.
Jodhpur - 342 008 (Dist. / Ra)

RMABN 23069239358

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



शैलेन्द्र श्रिवस्तव
(Shailendra Shrivastava)
Divisional Retail Sales Head
Indian Oil Corporation Limited
Jodhpur (Raj.)

Jodhpur Divisional Office
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में यह है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)

Divisional Retail Sales Head

Indian Oil Corporation Limited

Jodhpur Divisional Office

Jodhpur (Raj.)

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

INDIAN OIL CORPORATION LTD.

जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज. / Raj.)

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/45878/2020

दिनांक :- 13-03-2023

Project Name: - Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/45878/2020

Applied Area: -0.1885

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (16) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(Shailendra Shrivastava)
Shailendra Shrivastava
Divisional Retail Sales Head
Indian Oil Corporation Limited
Jodhpur (Raj.)
Jodhpur (Raj.)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
INDIAN OIL CORPORATION LTD.
जोधपुर / Jodhpur - 342 008 (राज / Raj.)

कार्यालय ग्राम पंचायत भाडखा पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर

क्रमांक: SPL/17/2023

दिनांक: 21/3/2023

शासन सचिव,
वन विभाग,
राज. सरकार,

विषय :- Diversion of 0.1885 ha. forest land in favour of Indian Oil Corporation limited for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Jaisalmer to Barmer/Sanchor Road (NH-68) between KM Stone No. 120-121 (Chainage: 120.657-120.692) RHS in Khasra No. 13, At Village-Jasotaniyon ki Dhani, Tehsil- Barmer, District- Barmer, Rajasthan. (FP/RJ/ROAD/45878/2020)

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021

महोदय,

आपके आदेश क्रमांक प.1 (91) वन/2021 दिनांक 14-12-2021 की शर्त सं. 16 के क्रम में हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्र की एक-एक प्रति प्राप्त कर ली गयी है।

प-101
(चनणीदेवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत भाडखा
सरपंच
ग्राम पंचायत भाडखा